

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

सूचना एवं संचार तकनीकी हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत रूपये 167.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,67,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 3

भारत सरकार के योजनांतर्गत 01 आयुष विंग, 05 स्पेशियलिटी थैरोपी सेन्टर, 07 स्पेशियलिटी क्लीनिक हेतु पदों के निर्माण के लिये रूपये 64.64 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	आयुष विंग	थैरोपी	क्लीनिक
1.	विशेषज्ञ चिकित्सक	10000-15200	01	05	-
2.	चिकित्सक	8000-13500	01	-	07
3.	पंचकर्म सहायक	3050-4590	04	20	-
4.	फार्मासिस्ट	3050-4590	01	05	07
5.	औषधालय सेवक	2550-3200	01	05	07
	योग		08	35	21

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन के निर्णय अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु विशेष घटक योजनांतर्गत निम्नानुसार 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इस हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये निम्नानुसार 07 पद निर्माण किया जाना है :-

क्रमांक	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
1.	चिकित्सा अधिकारी	02	8000-13500
2.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	01	3050-4590
3.	ड्रु सर	01	3050-4590
4.	नेत्र सहायक	01	4000-6000
5.	एम.पी.डब्लू. (महिला)	01	3050-4590
6.	आया/वार्डब्वाय	01	2550-3200
	योग	07	

इस हेतु रूपये 110.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित प्रा.स्वा. केन्द्र
1.	रायपुर	तिल्दा	खैरखुट
2.	बिलासपुर	मस्तुरी	दरीघाट
			कुकरदिकला
			ओखर
			नवांगांव
		बिल्हा	बरतौरी

			काडर
		मुंगेली	फास्टरपुल (सेतगंगा)
			पाल
			बरेला
		पथरिया	बटगांव
		लोरमी	देवरहटा
			चंदेली
			खपरी

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 5 से 6

फरवरी 2006 में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत राशि का आवंटन जल गुणवत्ता उपचार हेतु 75.25 के वित्तीय पोषण पर राशि उपलब्ध कराई जावेगी । इस वर्ष केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश हेतु रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है । यह एक नवीन योजना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 7 से 8

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यांश हेतु रूपये 811 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 9

लोक कला महोत्सव हेतु नवीन योजना क्रमांक-6799 आवंटित किया गया है इस योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस योजना हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

अनुसूचित जाति आयोग के गठन हेतु नवीन योजना क्रमांक 6800 आवंटित किया गया है इस योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 13.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस योजना हेतु रूपये 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 11

स्प्रिंकलर तथा डि प सिंचाई योजना के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र में राज्यांश राशि के रूप में राशि रूपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 12 से 13

सूखा उन्मूलन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य गतिविधियों हेतु रूपये 63.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 63,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14 से 15

सूखा उन्मूलन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़त भूमि के विकास योजना के राज्यांश हेतु रूपये 35.27 लाख के अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 35,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 16 से 17

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यांश के रूप में रूपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 18

एक लाख कृषि पंपों के उर्जाकरण योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने के लिए रूपये 1100.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 110,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 19 से 20

छात्रावास तथा आश्रम का निर्माण के अन्तर्गत राशि रूपये 310.00लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस योजना हेतु रूपये 3,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 21

ग्राम गिरौदपुरी में जैतखाम का निर्माण के अन्तर्गत राशि रूपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस योजना हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 22

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों को घरेलू प्रकाश हेतु निरंतर विद्युत उपलब्धता व्यस्था बनाने के लिये "अटल ज्योति" योजना के तहत पंप तथा घरेलू प्रकाश कनेक्शनों को पृथक-पृथक 11 के.व्ही. लाईन डालने के लिये रूपये 50.00 करोड़ व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 23

राज्य शासन के लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित सड़क कार्य को अनुसूचित जाति बाहूल्य क्षेत्र में होने के कारण मांग संख्या 24 से विलोपित करते हुए मांग संख्या 64 में प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है, यह मद परिवर्तन मात्र है :-

1. अकलतरा रेल्वे स्टेशन सिमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण ल. 12.70 किमी. तथा अनुमानित लागत रूपये 74.00 लाख इस पर इस वर्ष राशि रूपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है । इस पर होने वाला व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित पुल निर्माण कार्य को अनुसूचित जाति बाहूल्य क्षेत्र में होने के कारण मांग संख्या 42 से विलोपित करते हुए मांग संख्या 64 में प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है, यह मद परिवर्तन मात्र है :-

1. जिला रायगढ़ में चंदेली घरजरा मार्ग के कि.मी. 2/8 पर बरहापाट स्थल पर लीलार नाला पर सेतु निर्माण (अनुमानित लागत रूपये 64.05 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. बटाऊपाली टांगरमेढा मार्ग पर मार्ग पर ग्राम गोढ़ा के पास लात नाला पर सेतु निर्माण (अनुमानित लागत रूपये 51.50 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. मडिसार पीपरडीह गांवडीह मार्ग के मि.मी. 1/8 के निकट लीलार नाला पर सेतु निर्माण (अनुमानित लागत रूपये 42.75 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. चंदेली कटेली कोतमरा मार्ग परा ग्राम कटेली के निकट खुण्डी नाला पर सेतु निर्माण (अनुमानित लागत रूपये 40.50 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
5. करमंदी दुरपा मार्ग के कि.मी. 1/4 पर कांजा नाला पर पुल निर्माण (अनुमानित लागत रूपये 79.61 लाख) इस पर इस वर्ष राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । (मांग संख्या 24 से मद परिवर्तन)

जो विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 25

पंचायतों को उचित मूल्य के दुकानों के संचालन के लिए ऋण दिये जाने हेतु राशि रूपये 48.855 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 48,85,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।